।। कार्यालय कमाण्डेण्ट, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, अलवर।।

क्रमांकः–व–15( ) पी.टी.एस.–अल/पीडीएफ/एमईटीपी/2022/777-82 दिनांकः–18/11/2022

–ः सीमित निविदाः–

श्रीमान् अति0 महानिदेशक पुलिस, प्रशिक्षण, राज0 जयपुर के आदेश क्रमांक 14862 दिनांक 28.10.2022 द्वारा पुलिस विकास कोष के अन्तर्गत पी.टी.एस. अलवर में कम्प्यूटर लैब हेतु आइटम/उपकरण/संसाधन हेतु आवंटित राशि रूपये 8.90 लाख मे से रूपये 1.75 लाख (अक्षरे रूपये एक लाख पिचहत्तर हजार मात्र) का निम्न स्पेशिफिकेशन एवं मात्रा के अनुसार सामग्री क्रय करने हेतु सीमित निविदा आमंत्रित की जाती हैः–

Sl. No	Item	Description	Req. Qty.
1.	Computer Chair	Standred Size in matal S Type Frame with Cushion Seat and Back and Polyurethan armrest.	25
2.	Computer Table	overall size:-Length 4 Feet, Width 2.5 Feet, Hight 2.5 Feet. with commercial ply laminated, matal Frame and one side Drower.	25

अतः इच्छुक निविदादाताओं से सीलबंद निविदाऐं (समस्त करों सहित) इस कार्यालय (ग्राम ठेकडा, विजय मंदिर के सामने, अलवर) में दिनांक 29.11.2022 को दोपहर बाद 02:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। प्राप्त निविदाऐं इसी दिन दोपहर 03:00 पीएम पर निविदादाताओं के समक्ष खोला जावेगा। निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा। सामग्री की आपूर्ति/कार्य उपरोक्तानुसार किया जावेगा।

निविदा की शर्तेः–

1. निविदा प्रपत्र राशि शुल्क 200/– रूपये जमा करवाकर इस कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
2. प्रस्तुत दरों में कांट–छांट ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगी।
3. सशर्त एवं तार द्वारा प्राप्त निविदायें मान्य नहीं होगीं।
4. दरें सभी करों एवं समस्त खर्चों सहित एवं एफ.ओ.आर. प्रस्तुत करें।
5. निविदादाता फर्म का कोई अपराधिक रिकॉर्ड व ब्लेक लिस्टेड नहीं होनी चाहिये।
6. आदेश दिये जाने के 10 दिवस में कार्य पूरा करना होगा।
7. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार इस कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
8. फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। (फोटो प्रति संलग्न करें)
9. नियत तिथि व समय उपरांत प्राप्त निविदाऐं मान्य नहीं होगीं।
10. आवश्यकतानुसार सामान की मात्रा/निविदा राशि को कम या अधिक किया जा सकता है।
11. निविदा प्राप्त करने वाली फर्म को तीन दिवस मे डेमोस्ट्रेशन/प्रजेन्टेशन अद्योहस्ताक्षरकर्ता को देना अनिवार्य है।
12. सामान निर्धारित स्पेशिफिकेशन के अनुसार ही होना चाहिये, इसके अतिरिक्त अन्य स्पेशिफिकेशन मान्य नहीं होगा।

18/11/2022

कमाण्डेण्ट

पुलिस ट्रेनिंग स्कूल

अलवर

प्रतिलिपिः—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान् महानिरीक्षक पुलिस, प्रशिक्षण, राज0 जयपुर को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस उप अधीक्षक, पी.टी.एस., अलवर।
3. लेखाधिकारी, कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला अलवर।
4. मुख्य विधि अनुदेशक, कार्यालय हाजा।
5. संचित निरीक्षक, प्रशासन, पी.टी.एस., अलवर।
6. प्रभारी स्टोर कार्यालय हाजा।

कमाण्डेण्ट
पुलिस ट्रेनिंग स्कूल
अलवर